(270)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
समक्ष : जे0 के0 जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 660–दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–04–2013 पारित द्वारा अतिरिक्त अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 204/2012–13/अपील

सोनाराम पुत्र मांगीलाल बंजारा
निवासी– ग्राम भानगढ़
तहसील शिवपुरी, जिला–शिवपुरी,म0प्र0

-----अपीलार्थी

<u>विरूद्ध</u>

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला–शिवपुरी

------प्रत्यर्थी

— — — — — —

श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री राजीव शर्मा, शासकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी

— — — — — —

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 27.8.19 2019)

— — — — —

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 24–04–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम भानगढ़ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 955 रकबा 1.250 हैक्टर उपजाऊ न होने के कारण उक्त भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अपर कलेक्टर

शिवपुरी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया। अपर कलेक्टर ने भूमि विक्रय का कारण उचित न मानते हुये प्रकरण क्रमांक 16 / 2012–13 / अ–21(2) में पारित आदेश दिनांक 05–12–2012 को विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र निरस्त किया। अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 204 / 2012–13 / अपील में पारित आदेश दिनांक 24–04–2013 से निरस्त कर दिया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3 / अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया कि प्रश्नाधीन भूमि का अपीलार्थी को पट्टा प्रदान किया गया था। प्रत्येक पट्टाग्रहीता पट्टे की शर्तों का 10 वर्ष तक पालन कर लेता है उसके बाद भूमिस्वामी हो जाता है तथा भूमि विक्रय कर सकता है। अपीलार्थी शिवपुरी जिले से बाहर के शहरों में मजदूरी करने जाता है। विक्रय किये जाने वाली भूमि पथरीली होने से कृषि योग्य भूमि नहीं है। विक्रय की गई भूमि की धनराशि से अन्य भूमि क्रय करेगा। परन्तु अपर कलेक्टर व अपर आयुक्त ने इस तथ्य की अनदेखी की है एवं संहिता की धारा 165 के विरूद्ध आदेश पारित करने त्रुटि की है। अतः अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर विकय की अनुमति प्रदान की जाये।

4 / प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक उत्तर में मुख्य रूप से तर्क किया कि भूमिहीन व्यक्तियों को जीविकोपार्जन हेतु लोकहित में शासकीय भूमि के पट्टे प्रदान किया गया था। अपीलार्थी को यदि विकय की अनुमति प्रदान कर दी गई तो वह भूमिहीन हो जायेगा। ऐसी दशा में शासन मंशा विफल हो जायेगी। कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर अपीलर्थी का आवेदन निरस्त किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। अतः अपील निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अपीलार्थी कलेक्टर के समक्ष पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि को विकय की अनुमति हेतु आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर ने अपीलार्थी की ओर से भूमि विकय किये जाने प्रस्तुत कारण उचित नहीं होने एवं अपीलार्थी के साथ प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त भूमि न होने के कारण भूमिहीन की श्रेणी में आ जाने से आवेदन निरस्त किया गया। अपीलार्थी की ओर से अपीलीय न्यायालय सहित इस न्यायालय में कोई अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके तर्क को बल मिल सके कि वह दूसरी भूमि कय करना चाहता है। प्रत्यर्थी शासकीय अभिभाषक का यह तर्क सही है कि भूमिहीन व्यक्तियों को भरण—पोषण के लिए शासकीय भूमि के पट्टे प्रदान किये जाते हैं। यदि विकय की अनुमति प्रदान कर दी गई तो अपीलर्थी भूमिहीन हो जायेंगे और भरण—पोषण में परेशानी होगी। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा विस्तार से विवेचना कर उचित पाते हुये अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। कलेक्टर शिवपुरी का आदेश दिनांक 05—12—2012 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग का आदेश दिनांक 24—4—2013 स्थिर रखे जाते हैं।

(जे0के0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर